

हरियाणा सरकार
आबकारी तथा कराधान विभाग
अधिसूचना

दिनांक 27 अक्टूबर, 2004

संख्या का0आ0 242/ ह0अ0 06 /2003/ धा0 60/ 2004.— हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम 6), की धारा 60 की उपधारा (1) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या का0आ0 वैब 17/ह0अ0 06/2003/धा0 60/2004, दिनांक 18 अक्टूबर, 2004, के प्रति निर्देश से हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा मूल्य वर्धित कर नियम, 2003, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) ये नियम हरियाणा मूल्य वर्धित कर (तृतीय संशोधन) नियम, 2004, कहे जा सकते हैं।
(2) ये इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
2. हरियाणा मूल्य वर्धित कर नियम, 2003 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 16 में,—
(i) उपनियम (2) में, द्वितीय पंक्ति में, “31 अक्टूबर को या से पूर्व” शब्दों तथा अंकों के स्थान पर, “आगामी 30 नवम्बर को या उससे पूर्व” शब्द तथा अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
(ii) उपनियम (3) में, “इन नियमों से संलग्न अनुसूची” शब्दों के स्थान पर, “30 नवम्बर को या उससे पूर्व इन नियमों से संलग्न अनुसूची-II” अंक तथा शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
3. उक्त नियमों में, विद्यमान प्ररूप “वैट-द 2” के स्थान पर, निम्नलिखित “प्ररूप” प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“प्ररूप वैट-द 2
[देखिए नियम 16(2)]

दिन	दिन	-	मास	मास	-	वर्ष	वर्ष
		-			-		

को समाप्त वर्ष के लिए विवरणी की मूल/दोहरी प्रति

1. व्यवहारी की पहचान

नाम तथा कारबार की किस्म	मैसर्ज						
पता						दूरभाष संख्या	
दिन	0	6					आर्थिक गतिविधि कोड

टिप्पण— इस विवरणी में, तिमाही विवरणियों में दिए गए आँकड़ों और लेखा पुस्तकों में दिए गए आँकड़ों में अंतर, यदि कोई हो तो तिमाही विवरणियों के अनुसार बिक्री/खरीद आदि श्रेणी के आँकड़ों का अन्तर्विष्ट विघटन, समाधान विवरण संलग्न करते हुए स्पष्ट किया जाए।

2. स्कल आवर्त, बिक्री का कराधेय आवर्त और कर की संगणना (देखिए अधिनियम की धारा 2(1)(प), 3, 6 और 7)

(क) विवरण	(ख) माल का मूल्य
2क बेचे गये माल के सम्बन्ध में प्राप्त/प्राप्य बिक्री मूल्य जमा राज्य से बाहर निर्यातित अथवा बिक्री से अन्यथा निपटाए गए अथवा स्थानीय अभिकर्ता (अभिकर्ताओं) को बिक्री के लिए भेजे गये माल का मूल्य	
(I) वर्ष के लिए व्यवहारी द्वारा प्ररूप वैट-द1 में दाखिल तिमाही विवरणियों के खाना 2क(ख) के अनुसार	
(II) वर्ष के लिए लेखा पुस्तकों के अनुसार	
(III) वर्ष के लिए तुलन पत्र के अनुसार	
अंतर, यदि कोई हो	
(i) [(I)- (II)]	
(ii) [(I)- (III)]	

2ख	कटौतियां	(I) वर्ष के लिए व्यवहारी द्वारा प्ररूप वैट-द1 में दाखिल तिमाही विवरणियों के खाना 2ख(10)ख के अनुसार कुल कटौतियां।	
		(II) वर्ष के लिए लेखा पुस्तकों के अनुसार समरूपी आंकड़े।	
		(III) अंतर, यदि कोई हो [(I)-(II)]	
2ग	बिक्री की काराधेय आवर्त	(I) वर्ष के लिए व्यवहारी द्वारा प्ररूप वैट-द1 में दाखिल तिमाही विवरणियों के 2ग(ख) में दिखाया गया कुल मूल्य [2क (I)(ख)-2ख(1)ख]	
		(II) वर्ष के लिए लेखा पुस्तकों के अनुसार (2क(II)(ख) - [2ख(II)(ख)])	
		(III) अंतर, यदि कोई हो [(I)-(II)]	

2घ	(क) कर की दर के अनुसार 2ग(II)(ख) का विघटन	(ख) माल की वापसी तथा (कमी-)/वृद्धि का प्रभाव			(ग) निवल काराधेय आवर्त (2घ(क) ± 2घ(ख)(II))	(घ) कर की दर	(ङ) कर की राशि ((ग) x (घ))
		(i) वापिस किए गए माल का कुल मूल्य तथा वर्ष में तिमाही विवरणियों के साथ दाखिल एल.एस.-10 के अनुसार मूल्य में (कमी-)/वृद्धि, यदि कोई हो	(ii) वर्ष के लिए लेखा पुस्तकों के अनुसार स्वीकार्य माल की वापसी, (कमी-)/वृद्धि का कुल मूल्य	(iii) अंतर, यदि कोई हो [(i)-(ii)]			
(1)							
(2)							
(3)							
(4)							
(5)	कर की कुल राशि						

3. माल की खरीद, आयात तथा प्राप्ति की तथा राज्य में की गई खरीद पर भुगतान किए गए कर की संगणना

3क	(क) विवरण	(ख) राशि		
	कीमत का योग/माल का मूल्य,:	(i) व्यवहारी द्वारा वर्ष में दाखिल की गई तिमाही विवरणियों के अनुसार खरीद /प्राप्तियों का जोड़	(ii) वर्ष की लेखा पुस्तकों के अनुसार खरीद / प्राप्तियों का जोड़	(iii) अंतर, यदि कोई हो [(i)-(ii)]
	क राज्य में की गई खरीद जो नीचे ख में दर्शाया गया है के सिवाए वर्ष के दौरान बिक्री के लिए प्राप्त किये गये या खरीदे गये			
	ख (I) कर बीजक पर वैट व्यवहारियों से की गई खरीद			
	(II) राज्य में अन्य खरीद			

3ख		(ख) माल की वापसी तथा मूल्य में (कमी-)/वृद्धि का प्रभाव			(ग) निवल खरीद (3ख (क) ± 3ख(ख)(II))	(घ) कर की दर	(ङ) भुगतान किया गया कर ((ग) x (घ))
	(क) कर की दर के अनुसार 3क(ख)(i)(ख)(II) का विघटन	(I) वर्ष की तिमाही विवरणियों के साथ दाखिल की गई एल. पी-8 के अनुसार वापिस माल का कुल मूल्य तथा मूल्य में (कमी-)/वृद्धि	(II) वर्ष के लिए लेखा पुस्तकों के अनुसार स्वीकार्य माल की वापसी, (कमी-)/वृद्धि का कुल मूल्य	(III) अंतर, यदि कोई हो [(I)-(II)]			
(1)							
(2)							
(3)							
(4)							
(5)	कुल भुगतान किया गया कर						

टिप्पण- 1. यदि हरियाणा में और हरियाणा राज्य से बाहर शाखाओं के कारबार के तुलन पत्र इक्ट्टे बने हुए हैं तो एक अलग समाधान विवरणी अपेक्षित है, जिसमें राज्य के अन्दर किये गये कारबार से सम्बन्धित बिक्री और खरीद उल्लिखित की जानी चाहिए।

2. लेखा पुस्तकों के अनुसार खाना 2क(ii) (ख) में दिये गये विवरण के जोड़ में स्कैप, उपोत्पादन, रद्दी, वाहन और पूंजीगत माल आदि की बिक्री भी शामिल होगी।

4. बिक्री अथवा खरीद पर लगाये गये कर का कुल योग

5. निवेश कर की गणना (देखिए अधिनियम की धारा 8)

(1)	बिक्री कर 2घ(5)(ड)	(1)	राज्य में की गई खरीद पर भुगतान किया गया कर 3ख(5)(ड)
(2)	खरीद कर 9(4)(घ)	(2)	घटा (-) अदा किया गया कर जो निवेश कर का भाग नहीं - इस विवरणी में 8(ख) (3) (छ)
(3)	कुल कर [(1) + (2)]	(3)	निवेश कर [(1) - (2)]

6. भुगतान योग्य, वापसी योग्य अथवा समायोज्य कर (देखिए अधिनियम की धारा 20)

(1)	भुगतान योग्य कर [4(3)-5(3)]	टिप्पण - यदि 6(1) नकारात्मक मूल्य है, उसके पूर्ण मूल्य को पहले केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अधीन भुगतान योग्य कर, यदि कोई हो, के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा और शेष को भविष्य के कर दायित्व में समायोजन के लिए आगे ले जाया जाएगा किन्तु :- (i) भारत के बाहर माल का निर्यात, (ii) कर की दर में अंतर अथवा (iii) अनजाने में कर का अधिक भुगतान, के केषों में वापसी के दावे के लिए आवेदन किया जायेगा।
(2)	केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अधीन समायोजित कर	
(3)	वापसी का दावा	
(4)	अधिक, आगे ले जाया गया	

7. जमा किये कर के ब्यौरे

(क) तिमाही विवरणियों के अनुसार अदा किए जाने वाले कर का जोड़	(ख) वार्षिक विवरणी अनुसार अदा किए जाने वाला कर	(ग) अंतर, यदि कोई हो [(ख)-(क)]	(घ) कर अंतर के भुगतान के ब्यौरे				(ड) कार्यालय प्रयोग के लिए	
			खज़ाना, जहां कर जमा किया गया अथवा बैंक जिस पर डी.डी./ अदायगी आदेश दिया गया अथवा कार्यालय जहां से आर.ए.ओ. जारी किया गया इत्यादि, का नाम	खज़ाना रसीद (टी.आर./डी.डी./पी.ओ./आर.ए.ओ.)			डी.सी. आर. संख्या	तारीख
				लिखत की किस्म	संख्या	तारीख		

8. कर बीजक पर वैट व्यवहारियों से राज्य में माल की खरीद के सम्बन्ध में भुगतान किये गये कर, जो निवेश कर का भाग रूप नहीं है, की संगणना (देखिए अधिनियम की धारा 8(1) और अनुसूची-ड)

(क) कर बीजक पर वैट व्यवहारियों से खरीदे गये माल का खरीद मूल्य, जिस पर निवेश कर का जमा स्वीकार्य नहीं है।		(ख) खरीद मूल्य					
(I) वर्ष के लिए व्यवहारी द्वारा दायर तिमाही विवरणियों के अनुसार जो कि वैट-द1 के खाना 10च(ख) के आंकड़ों की कुल राशि है।							
(II) वर्ष के लिए लेखा पुस्तकों अनुसार योग अंतर, यदि कोई हो [(I)-(II)]							
(ख) विभिन्न दरों पर निवेश कर की गणना	(ख)	(ग)	(घ)	(ड)	(च)	(छ) = (ख) से (च) का जोड़	
(1) कर की दरों के अनुसार 8(क)(II)(ख) का विघटन							
(2) कर की दर							
(3) निवेश कर जिसे उल्टा किया जाना है (1) x (2)							

टिप्पण- जहां राज्य में खरीदे गए किसी माल का भागत: प्रयोग या निपटान उन हालातों में किया जाता है जिनमें निवेश कर का जमा ग्राह्य नहीं है और भागत: अन्यथा किया जाता है तो ऐसे माल का खरीद मूल्य यथानुपात में परिकलित किया जाएगा।

9. खरीद कर (देखिए अधिनियम की धारा 3(3))

(क) परिस्थितियां जिनमें खरीद कर उद्गृहीत करना है।	(ख) विभिन्न दरों पर कराधेय माल का खरीद मूल्य			(ग) कर की दर	(घ) 9(ख)(II) में दिए गए मूल्य पर खरीद कर
	(I) व्यवहारी द्वारा दाखिल तिमाही विवरणियों के खाना 11 के अनुसार खरीद मूल्य का जोड़	(II) वर्ष में लेखा पुस्तिकाओं के अनुसार खरीद मूल्य का जोड़	(III) अंतर, यदि कोई हो [(I)– (II)]		
(1) कर के भुगतान के बिना राज्य में खरीदा गया कराधेय माल जब ऐसा माल अथवा उससे विनिर्मित माल को या तो राज्य से बाहर निर्यात किया गया (भारत से बाहर निर्यात के सिलसिले में की गई बिक्री को छोड़कर) अथवा ऐसी रीति में प्रयोग में लाया गया अथवा निपटाया गया कि राज्य का कोई कर अथवा केन्द्रीय बिक्री कर भुगतान योग्य नहीं है।	(i)				
	(ii)				
(2) माल, जो विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए निम्न कर की दर पर राज्य में खरीदा किन्तु उक्त प्रयोजनों के लिए प्रयोग नहीं किया गया, धारा 7(5) के परंतुक के अधीन की गई कर की गणना	(i)				
	(ii)				
(3) कर के भुगतान के बिना राज्य में खरीदा गया धान जब ऐसा धान अथवा उससे विनिर्मित चावल भारत से बाहर निर्यात किया गया है।					
(4) जोड़ ((1)(i) + (1)(ii) + (2)(i) + (2)(ii) + (3))					

टिप्पण— जब राज्य में खरीदे गये माल का भागतः प्रयोग अथवा निपटान खाना (क) में वर्णित परिस्थितियों में उपरोक्त क्रम संख्या (1) और (2) पर प्रविष्टियों के विरुद्ध किया जाता है अथवा भागतः अन्यथा निपटाया जाता है, तो ऐसे माल पर उद्ग्रहणीय खरीद कर यथानुपात में परिकलित किया जाएगा।

तिथि (प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर)

घोषणा

मैं, _____ (नाम बड़े अक्षरों में), इसके द्वारा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं इस विवरणी को प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत हूँ और इसकी सभी विषय-वस्तु जिसमें तालिका 8 तथा 9, सूचियां, विवरण, समाधान विवरण, घोषणाएं, प्रमाण-पत्र और इसके साथ संलग्न अन्य दस्तावेज़ सहित अथवा शामिल हैं अथवा इसके साथ दायर किए गए हैं, सत्य, सही और पूर्ण हैं और उनमें कुछ छिपाया नहीं गया है।

स्थानः
तारीखः (हस्ताक्षर)

हैसियतः लागू टिक (✓) करें (कर्ता, स्वामी, भागीदार, निदेशक, अध्यक्ष, सचिव, प्रबंधक, प्राधिकृत अधिकारी)

(निर्धारण प्राधिकारी के कार्यालय में प्रयोग के लिए)

- (1) वेट रजिस्टर/कम्प्यूटर में डाटा प्रविष्टि की तारीख :
- (2) डाटा प्रविष्टि करने वाले कर्मचारी के हस्ताक्षरः
(नाम और पदनाम की मोहर लगाएं)
- (3) तारीख सहित निर्धारण प्राधिकारी के हस्ताक्षरः
(नाम और पदनाम की मोहर लगाएं)

टिप्पण— 1. विवरणी में अधिनियम की धाराएं और अनुसूचियों का संदर्भ सूचनात्मक है तथा व्यापक नहीं है।
2. जिस व्यवहारी ने विवरणी की अवधि के दौरान अधिनियम की धारा 3(3) अथवा अनुसूची-ड. में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में माल का व्यापार नहीं किया है, विवरणी का खाना 8 और 9 भरने को बाध्य नहीं है।

पावती

अधोहस्ताक्षरी नीचे वर्णित तारीख को इस विवरणी की मूल प्रति स्वीकार करता है:

- (1) विवरणी की प्राप्ति की तारीख
- (2) (प्राप्ति लिपिक का नाम और पदनाम की मोहर के साथ हस्ताक्षर)।

एल.एस.एम. सालिंस
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
Notification

The 27th October, 2004

No. S.O. 242/H. A. 6/2003/S. 60/2004.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 60 of the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (Act 6 of 2003), and with reference to Haryana Government, Excise and Taxation Department, Notification No. Web 17/H.A.6/2003/S.60/2004, dated 18th October, 2004, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Value Added Tax Rules, 2003, namely:-

1. (1) These rules may be called the Haryana Value Added Tax (Third Amendment) Rules, 2004.
- (2) They shall come into force with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.
2. In the Haryana Value Added Tax Rules, 2003 (hereinafter called the said rules), in rule 16,-
 - (i) in sub-rule (2), in the third line, for the words and figures “on or before 31st October next”, the words and figures “on or before 30th November next” shall be substituted;
 - (ii) in sub-rule (3), for the words and figures “on or before 31st October every year”, the words and figures “on or before 30th November every year” shall be substituted.
3. In the said rules, for existing “Form VAT-R2”, the following “form” shall be substituted, namely:-

“Form VAT-R2
[See rule 16(2)]

Original/Duplicate copy of return for the year ended on:

D	D	-	M	M	-	Y	Y
		-			-		

1. Dealer's identity

Name and style of business	M/S																		
Address											Telephone No.								
T I N	0	6												Economic Activity Code					

Note:- Difference, if any, in return and book version of figures given in this return be explained by appending a reconciliation statement containing break-up of the figures in the category of sales/purchases etc. to which it relates as per the quarterly returns.

2. Gross turnover, taxable turnover of sales and computation of tax (See sections 2(1)(u), 3, 6 and 7 of the Act)

(a) Description	(b) Value of goods
2A. Sale price received/receivable in respect of goods sold plus value of goods exported out of State or disposed of otherwise than by sale or sent for sale to local agent(s):	
(I) As per column 2A(b) of the quarterly returns in Form VAT-R1 filed by the dealer for the year	
(II) As per the books of account for the year	
(III) As per balance sheet for the year	

Difference, if any	(i) [(I) - (II)]	
	(ii) [(I) - (III)]	
2B. Deductions	(I) Total of deductions as per column 2B(10)b of quarterly returns in Form VAT-R1 filed by the dealer for the year	
	(II) Corresponding figure as per the books of account for the year	
	(III) Difference, if any [(I) - (II)]	
2C. Taxable turnover of sales;	(I) Total of the value as shown in 2C(b) of quarterly returns in Form VAT-R1 filed by the dealer for the year {2A(I)(b) - 2B(I)(b)}	
	(II) As per the books of accounts for the year {2A(II)(b) - 2B(II)(b)}	
	(III) Difference, if any [(I) - (II)]	

2D.	(a) Break-up of 2C(II)(b) according to rate of tax	(b) Effect of return of goods & (de-)/escalation			(c) Net taxable turnover {2D(a) + 2D(b)(II)} -	(d) Rate of tax	(e) Tax amount [(c) X (d)]
		(i) Total value of return of goods and (de-)/escalation as per LS-10 filed with the quarterly returns of the year, if any	(ii) Total value of return of goods (de-)/escalation allowable as per the books of accounts for the year, if any.	(iii) Difference, if any [(i) - (ii)]			
(1)							
(2)							
(3)							
(4)							
(5)	Total tax amount						

3. Purchase, import and receipt of goods and computation of tax paid on purchases made in the State

3A. (a) Description	(b) Amount		
Aggregate of price/value of goods:	(i) Total of the purchases/receipts as per quarterly returns filed by the dealer for the year	(ii) Total of the purchases/receipts as per the books of account for the year	(iii) Difference, if any [(i) - (ii)]
A Purchased / received for sale during the year except the purchases in the State as shown in B below.			
B. (I) Purchases from VAT dealers on tax invoice			
(II) Other purchases in the State			

3B.	(a) Break-up of 3A(B)(I)(b)(II) according to rate of tax	(b) Effect of return of goods & (de-)/escalation			(c) Net purchases {3B(a) + 3B(b)(II)} -	(d) Rate of tax	(e) Tax paid [(c) X (d)]
		(I) Total value of return of goods and (de-)/escalation as per LP-8 filed with the quarterly returns of the year	(II) Total value of return of goods (de-)/escalation allowable as per the books of accounts for the year.	(III) Difference, if any [(I) - (II)]			
(1)							
(2)							
(3)							
(4)							

(5)	Total tax paid						
-----	----------------	--	--	--	--	--	--

- Note :**
1. If balance sheet is consolidated of the business in Haryana and of the branches out side state of Haryana, a separate reconciliation statement is required wherein sales and purchases relating to the business inside the state should be mentioned.
 2. Total as per the books of account in column 2A(ii)(b) will also include the sale of scrap, by products, waste, vehicles and capital goods

4. Aggregate of tax levied on sale or purchase

5. Computation of input tax (See section 8 of the Act)

(1)	Sale tax 2D(5)(e)	
(2)	Purchase tax 9(4)(d)	
(3)	Total tax [(1) + (2)]	

(1)	Tax paid on purchases made in the State 3B(5)(e)	
(2)	Less tax paid, not part of input tax 8(B)(3)(g) of this return	
(3)	Input tax [(1) - (2)]	

6. Tax payable, refundable or adjustable (See section 20 of the Act)

(1)	Tax payable [4(3) - 5(3)]	
(2)	Tax adjusted under CST Act	
(3)	Refund claimed	
(4)	Excess carried forward	

Note:- If 6(1) is a negative value, the absolute value thereof will first be adjusted against tax payable under the Central Sales Tax Act, if any and the balance carried forward for adjustment with future tax liability but refund may be claimed in case of:- (i) export of goods out of India, (ii) difference in rate of tax or (iii) inadvertent excess payment of tax, by making an application.

7. Details of tax deposited

(a) Total of the tax payable as per the quarterly returns	(b) Tax payable as per the annual return	(c) Difference, if any [(b) - (a)]	(d) Details of payment of difference of Tax					(e) For office use	
			Name of treasury where tax deposited or Bank on which DD / Pay order drawn or Office	Treasury receipt (TR) / DD / PO / RAO				DCR No.	Date
				Type of Instrument	No.	Date	Amount		

8. Computation of tax paid in respect of goods purchased in the State from VAT dealers on tax invoice which is not to form part of input tax (See section 8(1) and Schedule E to the Act)

A Purchase value of goods purchased from VAT dealers on tax invoice on which credit of input tax is not admissible;			(b) Purchase value				
I As per the quarterly returns filed by the dealer for the year, which is sum total of figures in column 10F(b) of VAT-R1							
II Total as per the books of account for the year							
Difference, if any [(I) - (II)]							
B.	Calculation of input tax at different rates	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=Total (b) to (f)
(1)	Break-up of 8(A)(ii)(b) according to tax rates						
(2)	Rate of tax						
(3)	Input tax to be reversed (1) x (2)						

Note- Where any goods purchased in the State are used or disposed of partly in the circumstances where credit of input tax is not admissible and partly otherwise, the purchase value of such goods shall be computed pro rata.

9. Purchase tax (See section 3(3) of the Act)

(a) Circumstances in which purchase tax levied	(b) Purchase value of goods taxable at different rates			(c) Rate of tax	(d) Purchase tax on value in 9(b)(II)
	(i) Total purchase value as per column 11 of the quarterly returns filed by the dealer	(ii) Total purchase value as per the books of account for the year	(iii) Difference, if any [(i) – (ii)]		
(1) Taxable goods purchased in the State without payment of tax when such goods or the goods manufactured therefrom are either exported out of State or used or disposed of (except when sold in the course of export out of India) in a manner that no tax or CST is payable to the State	(i)				
	(ii)				
(2) Goods purchased in the State at lower rate of tax for specified purposes but not made use of for the said purposes Tax computed under proviso to section 7(5)	(i)				
	(ii)				
(3) Paddy purchased in the State without payment of tax when such paddy or the rice manufactured therefrom is exported out of India					
(4) Total [(1)(i) + (1)(ii) + (2)(i) + (2)(ii) + (3)]					

Note- Where any goods purchased in the State are used or disposed of partly in the circumstances mentioned in column (a) against entries at serial number (1) and (2) above and partly otherwise, the purchase tax leviable on such goods shall be computed pro rata.

Date:

[Signature of authorised person]

Declaration

I, _____ (name in CAPITALS), hereby, solemnly affirm that I am authorised to furnish this return and all its contents including tables 8 and 9, lists, statements, including reconciliation statement, declarations, certificates and other documents appended to it or filed with it are true, correct and complete and nothing has been concealed therein.

Place:

Date:

[Signature]

Status: Tick (✓) applicable [Karta, proprietor, partner, director, president, secretary, manager, authorised officer]

(For use in the office of the assessing authority)

(1) Date of data entry in VAT-register/Computer:

(2) Signature of the official making the data entry: (Affix stamp of name and designation)

(3) Signature of the assessing authority
with date: (Affix stamp of name and
designation)

Note– 1. Reference to sections or schedules in the Act in the return is indicative and not comprehensive.

2. A dealer who has not dealt goods in the circumstances specified in Schedule E to the Act or section 3(3) of the Act during the return period, does not have to fill in the columns 8 and 9 of the return.

Acknowledgement

The undersigned acknowledges having received the original of this return on the date mentioned below:

(1) Date of receipt of return: (2) [Signature with stamp of name and designation of receipt clerk].”

L.S.M. SALINS
Financial Commissioner and Principal Secretary to
Government of Haryana, Excise and Taxation Department.